अनुसूची–14 फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.................................से.................................तक

जिला..........................सं0..........................सन् 20..........

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29.10.17	**न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।** **दाखिल खारीज अपील सं0–xv-10/2017-18** ब्यास विश्वकर्मा वगै0 ... ... **अपीलार्थी** – ब ना म् – मुखदेव तिवारी ... ... **विपक्षी** **–: आ दे श :–** यह दाखिल खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, उंटारी रोड द्वारा जमाबंदी संधारण वाद सं0 1/16–17 में दिनांक 19.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश के द्वारा ग्राम सिडहा के खाता नं0 30, प्लौट नं0 895, रकबा 0.03¾ एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से जमाबंदी संधारण की स्वीकृति दी गयी है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं विपक्षी द्वारा दाखिल रिज्वायंडर का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा किया गया दावा का सार यह है कि	35/40 6076

ग्राम सिड़हा का खाता नं0 30, प्लौट नं0 895 जीबोधन लोहार के नाम से दर्ज था। अपीलार्थी ने जीबोधन लोहार खतियानी रैयत की वंशावली देते हुए दावा किया है कि अपीलार्थी जीबोधन लोहार के वंशज है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी की खतियानी भूमि है जो खतियानी रैयत के समय से दखल कब्जा में है। अपीलार्थी का दावा है कि पंडित लक्ष्मीनारायण दूबे एवं पंडित रामाकांत दूबे ने धोखा–धड़ी कर रामशरण मिस्त्री के स्थान पर अन्य व्यक्ति को निबंधक के समक्ष खड़ा कर प्रश्नगत भूमि का विक्रय पत्र प्राप्त कर लिया है। केवाला कराने की जानकारी न तो रामशरण मिस्त्री को था न उनके परिवार को ही है और न उन्हें प्रश्नगत् भूमि की जरसम्मन की राशि का भुगतान ही हुआ है। उक्त बनावटी एवं बिना जरसम्मन के केवाला के आधार पर क्रेता का प्रश्नगत् भूमि पर कभी न तो दखल कब्जा हुआ और न केवाला अमल में ही आया। अंचल अधिकारी, ऊँटारी रोड द्वारा उक्त निष्क्रिय केवाला जो वास्तविक भू–स्वामी द्वारा नहीं किया गया के आधार पर बिना दखल कब्जा का सत्यापन किए ही विपक्षी के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दे दी है। क्रेता लक्ष्मीनारायण दूबे एवं रामांकान्त दूबे ने अपने जीवन काल में इस बात का कभी खुलासा नहीं किया कि उन्होंने प्रश्नगत् भूमि क्रय की है। उनके मृत्यु के बाद उनके वंशज ने निबंधित केवाला सं0 3371/3293, दिनांक 10.04.2015 के माध्यम से फर्जी केवाला से क्रय की गयी भूमि में से रकबा 0.03% एकड़ भूमि मुखदेव तिवारी को बिक्री किया है। अपीलार्थी को जानकारी मिली है कि रामाकांत दूबे की पुत्री प्रतीमा तिवारी जौजे उमेश तिवारी ने भी निबंधित केवाला सं0 228/223, दिनांक 8.1.15 के माध्यम से अंश भूमि विपक्षी को बिक्री की है। अपीलार्थी का

है कि रकबा 0.15 एकड़ भूमि वर्ष 1951 में ही बिक्री हो चुकी है। विपक्षी ने आगे दावा किया है कि विपक्षी ने वीरेन्द्र कुमार दूबे से निबंधित केवाला सं0 3293, दिनांक 10.4.2015 के माध्यम से खाता नं0 30, प्लौट नं0 895, रकबा 0.03¾ एकड़ भूमि क्रय की और क्रय की तिथि से इसके दखल कब्जा में हैं। विपक्षी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने विपक्षी के आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की तथा आपति आमंत्रित करते हुए आम इश्तेहार का प्रकाशन कराया गया। किसी ने आपति नहीं दिया। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा विपक्षी का दखल कब्जा पाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर विपक्षी के नाम से जमाबंदी संधारण का आदेश पारित किया गया है जो बिल्कुल उचित एवं सही है। विपक्षी का दावा है कि विपक्षी ने खाता नं0 30, प्लौट नं0 895 में रकबा 0.07½ एकड़ और भूमि प्रतीमा देवी पुत्री रामाकांत दूबे से निबंधित केवाला सं0 223, दिनांक 8.1.15 से प्राप्त किया और दखल कब्जा में है। अपीलार्थी या अपीलार्थी के पूर्वजों ने निबंधित केवाला सं0 4084, दिनांक 27.8.1951 की बैधता की चुनौती आज तक सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में नहीं दी है। अतएव उक्त केवाला के आधार पर विपक्षी के पक्ष में किया गया केवाला एवं विपक्षी के नाम से प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी संधारण का आदेश बिल्कुल उचित एवं वैध है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने प्रश्नगत् भूमि पर दफा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विविध वाद सं0 672/15 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के न्यायालय में दायर किया था, जिसमें विपक्षी के पक्ष में नियम रिक्त एवं अपीलार्थी के विरूद्ध निरपेक्ष किया गया था। विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी का अपील

आवेदन निराधार है जो खारीज के योग्य है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख के साथ संलग्न कागजात एवं विपक्षी द्वारा दाखिल कागजात का अवलोकन किया। विपक्षी ने रामशरण लोहार द्वारा लक्ष्मीनारायण दूबे एवं रामाकांत दूबे के पक्ष में ग्राम सिड़हा का खाता नं030, प्लौट नं0 895, रकबा 0.15 एकड़ के लिए दिनांक 27.8.1951 का निष्पादित केवाला, वीरेन्द्र दूबे पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण दूबे द्वारा मुखदेव तिवारी के पक्ष में दिनांक 10.4.2015 का निष्पादित केवाला, प्रतिमा देवी द्वारा मुखदेव तिवारी के पक्ष में दिनांक 08.01.15 का निष्पादित केवाला, विविध वाद सं0 1/13–14 बनाम् वृन्दालाल विश्वकर्मा वगै0 में दिनांक 5.3.14 का अंचल अधिकारी, ऊँटारी रोड द्वारा पारित आदेश, विविध वाद सं0 672/2015, दफा 144 दण्ड प्रक्रिया में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति (सभी कागजात की छायाप्रति) दाखिल किया है। दिनांक 27.8.1951 का केवाला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पूर्वज रामशरण लोहार द्वारा वर्ष 1951 में ही प्लौट नं0 895 में रकबा 0.15 एकड़ भूमि की बिक्री लक्ष्मीनारायण दूबे एवं रामाकान्त दूबे के साथ बिक्री कर दी गयी है। रामशरण लोहार ~~लौहार~~ द्वारा बिक्री के बाद रामशरण लोहार के हिस्से में 0.81 एकड़ भूमि बचती थी, जिसकी जमाबंदी का संधारण रामशरण के वंशज अपीलार्थी सं0 2 वृन्दालाल विश्वकर्मा वगै0 के नाम से विविध वाद सं0 01/13–14 द्वारा अंचल अधिकारी, ऊँटारी रोड के आदेश से दिनांक 5.3.14 से हुआ है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है। विविध वाद सं0 672/2015 दफा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विपक्षी के पक्ष में नियम रिक्त हुआ है तथा

अपीलार्थी के विरूद्ध निरपेक्ष हुआ है। विपक्षी ने वर्ष 1951 के क्रेता लक्ष्मीनारायण दूबे के पुत्र वीरेन्द्र कुमार दूबे से दिनांक 10.4.2015 को प्रश्नगत् भूमि क्रय की है। निम्न न्यायालय की मूल अभिलेख जमाबंदी संधारण वाद सं0 1/16–17 हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन विपक्षी की दावा को पुष्टि करता है। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी ने लक्ष्मीनारायण दूबे के पुत्र वीरेन्द्र कुमार दूबे से प्रश्नगत् भूमि क्रय की है। लक्ष्मीनारायण दूबे एवं रामाकान्त दूबे ने वर्ष 1951 में खतियानी रैयत के पुत्र रामशरण लोहार से उसके हिस्से की भूमि क्रय की थी। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि की मांग किसी के नाम से नहीं चलती है। हल्का कर्मचारी द्वारा विपक्षी के नाम से जमाबंदी संधारण के लिए समर्पित प्रस्ताव के आलोक में किसी के द्वारा आपति नहीं दिए जाने के बाद ही अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी का दावा वर्ष 1951 में रामशरण लोहार द्वारा निष्पादित केवाला का फर्जी एवं बनावटी होने का है, जिसका समाधान व्यवहार न्यायालय द्वारा ही हो सकता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में जमाबंदी सुधार वाद सं0 1/16–17 में दिनांक 19.12.2016 का पारित आदेश सम्पुष्ट किया जाता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

29.10.17

उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।

29.10.17

उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।